प्रेस विज्ञप्ति

मितानिन कल्याण कोष से हजारों मितानिन परिवारों को राहत, लगभग 2300 दावा प्रकरणों का हुआ भुगतान

मितानिन कल्याण कोष छत्तीसगढ़ शासन की एक **विशिष्ट, महत्वाकांक्षी एवं सामाजिक सुरक्षा योजना** है, जो देश में एक **अनोखी** पहल है। राज्य शासन द्वारा समाज के प्रति प्रारंभ से ही मितानिनों की निःस्वार्थ एवं स्वैच्छिक सेवाओं को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित एक विशिष्ट कल्याणकारी योजना है। इस प्रकार का समर्पित कल्याण कोष, विशेष रूप से मितानिनों एवं उनके परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मेधावी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा सहायता, मातृत्व सहायता, मितानिन के पति की मृत्यु उपरांत सहायता, कन्या विवाह सहायता, मितानिन की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था सहायता तथा अन्य आकस्मिक सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अंतर्गत लगभग 2300 दावा प्रकरण लंबित थे, जिसके कारण मितानिनों को विकट आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ा, जिसका संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णु देव साय के विशेष मार्गदर्शन एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व एवं सतत् प्रयासों से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (SHSRC) - सोसायटी फॉर एक्शन इन कम्युनिटी हेल्थ (SACH) द्वारा निराकरण करते हुए संबंधित मितानिनों के बैंक खातों में कुल 659.42 लाख रुपये (लगभग 6.59 करोड़ रुपये) की सहायता राशि सफलता पूर्वक हस्तांतरित की गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त व्यक्त किया है कि आगामी वित्तीय वर्षों के दावा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा, जिससे पात्र मितानिनों को समय पर सहायता उपलब्ध हो सके।